सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 17/2024

1. लालाराम उर्फ लल्लूराम पुत्र कल्याणसहाय जाति बैरवा निवासी भाण्डारेज हाल निवासी सत्कार कालोनी दौसा
2. रामराज पुत्र बोनाराम जाति मीना निवासी ढहरिया हाल निवासी सत्कार कालोनी दौसा
3. प्रेम पत्नि भोलाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम बालाहेडी तहसील महवा हाल निवासी सत्कार कालोनी दौसा
4. देवीसहाय पुत्र चन्दाराम जाति बैरवा निवासी बालाहेडी तहसील महुवा हाल निवासी सत्कार कालोनी दौसा
5. लाडबाई पत्नि हरिमोहन जाति बैरवा निवासी राजाहेडा तहसील नादौती हाल निवासी सत्कार कालोनी दौसा

.. अपीलांट्स

बनाम

1. दीपक राजोरिया पुत्र सुरेशचंद राजोरिया जातिं खटीक निवासी खटीकान मौहल्ला दौसा तहसील दौसा
2. सुनीता देवी पत्नि सुरेश
3. रेशमा पुत्री सुरेश
4. अजय नाबालिक पुत्र सुरेश जरिये बली माता सुनीता देवी
5. लक्की नाबालिक पुत्र सुरेश जरिये बली माता सुनीता देवी
6. कौशल्या पत्नि जगदीशनारायण
7. रोहित नाबालिक पुत्र रमेशचंद जरिये सरक्षक दादी कौशल्या देवी
8. बिन्दू नाबालिक पुत्री रमेशचंद जरिये सरंक्षक दादी कौशल्या देवी
9. मुकेश पुत्र जगदीशनारायण
   समस्त जाति बैरवा निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
10. सुनीता पुत्री जगदीशनारायण पत्नि नवलकिशोर बैरवा निवासी 20 ए गणेश नगर 9 विस्तार विजयपुरा झोटवाडा जयपुर
11. अनिता पुत्री जगदीशनारायण पत्नि बृजमोहन जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला छोटी दौसा
12. आशा पुत्री जगदीशनारायण पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला छोटी दौसा
13. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

... रेस्पों०

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 9.4.2024 जो नामान्तरण सं0 592 ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा पर पारित किया गया है।

उपस्थित– 1. श्री विनोद विज... अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 30.4.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम गणेशपुरा के पारित नामान्तरण सं0 592 दिनांक 9.4.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

जिला कलेक्टर, दौसा

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार दौसा से मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 45 रकबा 0.72 है० के खातेदार व काबिज काश्तकार जगदीशनारायण पुत्र दामोदर प्रसाद जाति बैरवा निवासी दौसा ने अपनी उक्त भूमि में प्लाट विक्रय करने के लिये एक प्लान बनाया और प्लान बनाकर उक्त भूमि के सम्पूर्ण प्लाटो का जरिये इकरारनामा बहुत से लोगो को विक्रय कर दिया तथा मौके पर क्रेताओ का कब्जा करवा दिया तथा केताओ ने मौके पर अपने मकानात बाउण्डरी आदि का निर्माण कर लिया और उक्त सम्पूर्ण भूमि के सम्पूर्ण प्लाटो का विक्रय दिनांक 21.11.2005 से पूर्व ही जरिये इकरारनामा करके और मौके पर खरीददारान का कब्जा करवा दिया तथा खरीददारान ने मौके पर पर निर्माणात कर लिये। मौके पर काफी खरीददारान रहवास कर रहे है तथा काफी खरीददारान की मौके पर बाउण्डरी वाल बनो हुई है। दिनांक 1.03.2023 को शाम करीब 6:30 बजे के आस पास इन्द्र मीना, राजेश मीना, रिंकू मीना निवासी छतरी वाली ढाणी अपने साथ ओमप्रकाश सैनी व 15-20 अन्य व्यक्तियो को अपने साथ जे सी बी मशीन को साथ लेकर हथियारो से लैस होकर मौके पर आये जिन्होंने हथियारों के बल पर कालोनी वासियो को भय में डालकर जान से मारने की धमकी देते हुए उक्त भूमि मे बसी हुई कालोनी के कई प्लाटो की बाउण्डरी बालो को तोडकर कब्जा करने का प्रयास किया जब कालोनी वासियो ने बाउण्डरी तोडने से मना किया तो उक्त लोगो ने कालोनी वासियों को धमकी दी कि यदि कालोनी वासियो ने उपरोक्त लोगो को बाउण्डरी वाला तोडने से मना किया तो गोलियो से भून देंगे जब कालोनी वासियो ने 100 नंबर पर टेलिफोन किया तो पुलिस मौके पर आयी तथा उक्त जेसीबी मशीन को जब्त कर थाने मे ले गयी उक्त लोगो द्वारा प्लाटो की तोड़ी गयी बाउण्डरी की वजह से प्लाट वालो को लाखो रूपये का नुकसान हो गया तथा उक्त घटना की रिपोर्ट अपीलान्ट रामराज ने थाना कोतवाली दौसा में दर्ज करवायी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 90/2023 है। उक्त मुकदमे मे पटवारी सविता मीना ने अपने बयान दिनांक 11.07.2023 को दिये उक्त बयानो में उक्त पटवारी सुनीता मीना ने अपने बयानो मे स्पष्ट बताया कि मौके पर उक्त भूमि खसरा नंबर 45 के सम्पूर्ण रकबे पर आबादी प्लाटिंग रोड है कृषि योग्य खाली भूमि मौके पर नही है और अपनी मौका रिपोर्ट भी दी इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पटवारी सविता मीना को यह स्पष्ट मालूम था कि उक्त भूमि विवादित है तथा उक्त भूमि मे आबादी बसी हुई है। इसके बाद पुनः एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलान्ट लालराम उर्फ लल्लूराम ने दर्ज करवायी जिस रिपोर्ट मे भी सविता मीना पटवारी गणेशपुरा ने दिनांक 5.07.2023 को परचा मौका बनाया और परचा मौका में स्पष्ट लिखकर दिया कि मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर आबादी प्लाटिंग रोड है, कृषि योग्य खाली भूमि मौके पर नही है और उक्त सभी तथ्यो की जानकारी तहसीलदार दौसा को भी भली भांति है क्यो कि तहसीलदार दौसा के आदेश पर ही पटवारी ने मौका रिपोर्ट दी है और पटवारी सवित मीना एवं तहसीलदार दौसा राजेन्द्र कुमार मीना को यह भली भांति जानकारी थी कि उक्त भूमि खरारा नंबर 45 की सम्पूर्ण भूमि मे प्लाट पूर्व मे ही जगदीशनारायण बैरवा द्वारा विकरा करके और कालोनी बसायी जा चुकी है और उक्त भूमि के 20/42 हिस्से की रेस्पोडेन्ट नंबर 2 लगा० 12 ने फर्जी तरीके से [illegible] बिना दिनांक 26.01.2023 को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम [illegible] करवायी है जिसके संबंध में फौजदारी मुकदमे भी दर्ज हो रहे है व सिविल दावे भी चल रहे है। तहसीलदार एवं पटवारी को यह पूर्ण जानकारी होते हुए भी उन्होंने कानून का उल्लंघन करके अपने पद का दुरूपयोग करके भ्रष्ट आचरण करके तथा उक्त रेस्पोडेन्ट नंबर 2 लगा० 12 द्वारा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के हक मे करवायी गयी रजिस्टरी के आधार पर बिना कोई जाँच किये बिना ही दिनांक 8.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

[illegible] को नामान्तकरण संख्या 592 ग्राम गणेशपुरा भरकर पटवारी हल्का सविता मीना ने पेश कर दिया तथा तहसीलदार दौसा ने बिना कोई जाँच किये बिना उनकी जानकारी मे होने के बावजूद भी दिनांक 9.04.2024 को उक्त नामान्तकरण संख्या 592 ग्राम गणेशपुरा को तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अतः तहसीलदार दौसा के नामान्तकरण संख्या 592 ग्राम गणेशुपरा पर पारित आदेश दिनांक 9.04.2024 के विरुद्ध श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्ट पेश है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने उनकी पूर्ण जानकारी मे होने के बावजूद भी उक्त भूमि मे पहले से ही जगदीशनारायण द्वारा विक्रय कर कालोनी बसा रखी है और उक्त रेस्पो नंबर 2 लगा० 12 ने रेस्पो नंबर 1 को फर्जी बेचान किया है किन्तु इसके बावजूद भी बिना अपीलान्ट को सुने बिना व बिना मौके पर काबिज व्यक्तियो को नोटिस दिये बिना व बिना कोई जाँच किये बिना उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। मौके पर उक्त भूमि में अपीलान्ट व अन्य बहुत से लोगो के मकानात बने हुए है विधुत कनेक्शन हो रहे है रहवास हो रहा है। मौके पर एक भी इंच भूमि खाली नही है। पटवारी हल्का ने स्वंय ने एफ आई आर 90/ 2023 मे दिनांक 11.07.2023 को स्पष्ट कहा है कि मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर आबादी प्लाटिंग रोड है तथा कृषि योग्य भूमि खाली नही है तथा परचा मौका बनाकर दिया है। इसी प्रकार उक्त सविता मीना ने एफ आई आर नंबर 148/2023 थाना कोतवाली दौसा मे दिनांक 5.07.2023 को परचा मौका बनाकर दिया है और उक्त परचा मौका मे स्पष्ट लिखा है कि मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर आबादी प्लाटिंग रोड है कृषि योग्य खाली भूमि नही है । इन सब तथ्यो की पटवारी हल्का को जानकारी होने के बावजूद भी पटवारी हल्का ने इन तथ्यो को छिपाकर मिलीभगत से भ्रष्ट आचरण करके और उक्त रेस्पोडेन्ट नंबर 2 लगा० 12 द्वारा रेस्पोडेन्ट 1 के हक मे करवाये गये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरकर पेश कर दिया जिसे तहसीलदार दौसा को सभी विवादो की जानकारी होते हुए भी उसने उक्त नामान्तकरण को तस्दीक कर दिया जो कानूनन गलत है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि सम्पूर्ण मे मौके पर जगदीशनारायण द्वारा विक्रय के आधार पर कालोनी बसी हुई है मौके पर अपीलान्ट व अन्य प्लाट धारियो का कब्जा है उक्त भूमि मौके पर एक भी इंच खाली नही है और उक्त भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा0 12 का कब्जा नही रहा है और ना ही आज कब्जा है। रेस्पो नंबर 2 लगा0 12 ने रेस्पो नंबर 1 के नाम पूर्व में विक्रय सुदा भूमि की फर्जी रजिस्टरी करवायी थी जिसकी अधिनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी थी किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने मे कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जिस भूमि बाबत पूर्व से दीवानी व फौजदारी मुकदमे चल रहे हो और मौके पर जिस भूमि मे आबादी बसी हुई है तो उक्त भूमि की नामान्तकरण जैसी कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही था अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 9.04.2024 जो नामान्तकरण संख्या 592 ग्राम गणेशपुरा पर पारित किया गया है कि अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्यो कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना व बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना उक्त [illegible] पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही [illegible] द्वारा दर्ज करवायी गयी एफ आई आर नंबर 148/2023 थाना [illegible] दौसा के मुकदमे मे मुख्य न्यायिक मजिस्टेट दौसा की अदालत मे दिनांक 4.06.2024 की तारीख पेशी थी उक्त मुकदमे में अपीलान्ट लालाराम अपने अधिवक्ता के पास आकर मिला तो वकील जी ने कहा कि उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल निकलवाकर लाना तब दिनांक 5.06.2024 को जमाबंदी की नकल निकलवायी तो मालूम पड़ा कि रेस्पोडेन्ट नंबर 2 लगा० 12 द्वारा रेस्पोडेन्ट 1 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

हक में करवायी गयी रजिस्टरी का नामान्तकरण तहसीलदार जी ने दिनांक 9.04.2024 को तस्दीक कर दिया है तब दिनांक 5.06.2024 को ही उक्त नामान्तकरण की ई मित्र से नकल निकलवायी तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को जानकारी मे आया कि उक्त विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार जी ने नामान्तकरण संख्या 592 ग्राम गणेशपुरा दिनांक 9.04.2024 को तस्दीक कर दिया है तब सर्वप्रथम अपीलान्ट लालाराम को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी और अपीलान्ट लालाराम ने अन्य अपीलान्ट व कालोनी वासियो को बताया तब उक्त नामान्तकरण की अपीलान्ट को जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की कतई जानकारी नही थी उक्त आदेश अवैघ अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 9.04.2024 जो नामान्तकरण संख्या 592 ग्राम गणेशपुरा पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पों0 सं0 1 से 12 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार दौसा द्वारा आदेश दिनांक 9.4.2024 जो कि नामान्तरण सं0 592 वाके ग्राम गणेशपुरा पर पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है। तहसीलदार दौसा के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण भरा गया है को तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।
6. अपीलांट्स के द्वारा तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 592 ग्राम गणेशपुरा पर पारित आदेश दिनांक 9.4.2024 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार दौसा के द्वारा पटवारी हल्का के द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण जो कि विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है जिसको तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 9.4.2024 को तस्दीक किया गया है। साथ ही पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 5.7.2023 के अवलोकन से भी यह सिद्ध होता है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 45 रकबा 0.72है. पर मौके पर संपूर्ण भूमि आबादी, प्लॉटिंग, रोड है, कृषि योग्य खाली भूमि मौके पर नहीं है। तहसीलदार दौसा द्वारा अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। हम प्रकरण में सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अपील रिमांड किये जाने योग्य समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जाकर तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि अपीलांट्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में अपीलांट्स को सुनवाई की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ तहसीलदार दौसा के न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 17.5.2025 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30 अप्रेल, 2025 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा